कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सिं.ख.), रूद्रप्रयाग।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

पत्रांकः—494/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/ दिनांक 08/08/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण देहरादून।

विषयः— जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
Online Proposal No- FP/UK/ROAD/40174/2019

सन्दर्भ : प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक—3115/12—1 दिनांक 30—06—2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत स्तर से वांछित 06 बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक— 133/पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)रूद्रप्रयाग/वनभूमि/दिनांक 09—05—2025 के द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रेषित सूचना के बिन्दु संख्या—03 की सूचना पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	विवरण	उत्तर
01	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश वन (संरक्षक एवं संवर्धन) अधिनियम, संशोधित 2023 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन दिनांक 17—12—2024 के बिन्दु संख्या (i) में दी गयी आख्या के द्वारा सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामतरित किया जा चुका है, किन्तु भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना उपलब्ध करायी जाना आवश्यक है।	मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश वन (संरक्षक एवं संवर्धन) अधिनियम, संशोधित 2023 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन दिनांक 17—12—2024 के बिन्दु संख्या (i) अनुसार चयनित क्षेत्र को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/ नामतरित किया जा चुका है। (संलग्न—1) तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र को उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग, वनप्रभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक—438/12—1 दिनांक 07—08—2025 द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित किया गया है। (संलग्न—2)

सलग्न —उपोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः— /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि — वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड
रूद्रप्रयाग।

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 438 /12–1(2) दिनांक 07/8/2025::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–3115/12–1 दिनांक 30.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में नोडल स्तर से वांछित सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की अगस्त्यमुनि रेंज के अन्तर्गत 1.501 है0 वन पंचायत भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/40174/2019) निर्माण हेतु कुल 1.501 है0 वन भूमि के एवज में 3.002 है0 सिविल भूमि को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–4085/छब्बीस–19/2020–21 दिनांक 05.06.2021 तथा पत्रांक–2575/छब्बीस–19/2020–21 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–जयकण्डी, रा0उ0नि0क्षे0–गणेशनगर, तहसील–ऊखीमठ, जनपद–रुद्रप्रयाग की श्रेणी 9(3)ङ) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–60 के खसरा संख्या–278, रकवा–2.50 है0 तथा खसरा संख्या–1369, रकवा–0.700 है0 मध्ये–0.502 है0 अर्थात् कुल 3.002 है0 सिविल भूमि को वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम आवंटित/हस्तान्तरित की गई है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 3.002 है0 सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 यथा संशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16, वर्ष–1927) की धारा–29 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हों तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का म्यूटेशन आदेश, **(संलग्नक–1)** खतौनी विवरण **(संलग्नक–2)**, डिजिटल एवं जियोरिफरेन्स मानचित्र **(संलग्नक–3)** तथा अधिसूचना का ड्राफ्ट **(संलग्नक–4)** संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियों में)

भवदीया
(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, रि0ख0, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0) रूद्रप्रयाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यो हेतु 1.501 है0 भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.912 है0 भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या–08/र0का0–क्षति0वृ0/(2020–21) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया है कि जाबरी–जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी–9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी–9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक–04–06–2021

ह0/–
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4085 /छब्बीस–19/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः जून, 05 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

अपर, जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

/2023

संशोधित

::आदेश::

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि के एवज में इस कार्यालय के आदेश संख्या-4085/छब्बीस-19/2021-22 दिनांक 05 जून, 2021 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1029 दिनांक 25/08/2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या- 3 (क) के अनुसार ग्राम जयकण्डी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा संख्या- 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/अमलदरामद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0खं0), रूद्रप्रयाग द्वारा पत्र संख्या-147/पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.खं.)रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 02/02/2023, के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग पर वृक्षारोपण हेतु अवशेष 0.090 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या-1196/र0का0-क्ष0वृ0/(2022-23) दिनांक 14 जनवरी, 2023 को अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम जयकण्डी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा संख्या- 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण होने पर अमलदरामद किया गया है तथा शेष 0.09 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी के खसरा संख्या-1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये अवशेष 0.288 है0 भूमि में से 0.090 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तावित 0.090 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड. की भूमि है, जिसके नकल नक्शा, ज0वि0र0 खतौनी तथा खसरा संलग्न कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी के श्रेणी-9-3(ड.) के खाता संख्या- 60 के खसरा संख्या- 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण होने पर अमलदरामद किया गया है तथा शेष 0.09 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी के खसरा संख्या-1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये अवशेष 0.288 है0 भूमि में से 0.090 है0 चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।
10-02-2023

471/2023

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–2575/छब्बीस–19/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः फरवरी 14 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वंन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

Signed by Deependra Singh Negi
Date: 14-02-2023 15:19:44

तहसीलदार ऊखीमठ। | R.K.

कृ0 नकल खतौनी प्रेषित करें।

SDM(U)
20/02/23

रा0उ0नि0
गणेशनगर

कृ0 अमल-दरामद कर
नकल खतौनी उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
ऊखीमठ
24/02/23

Scanned with OKEN Scanner

2023
2023

प्रेषक,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

द्वारा:— उप जिलाधिकारी ऊखीमठ।

संख्या:— 1363 / रा0का0—भू0अम0 / (2022—23) दिनांकः ऊखीमठः अप्रैल 05, 2023

विषयः— **जाबरी—जयकण्ड़ी मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम ग्राम जयकण्ड़ी में भूमि अमल—दरामद किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय आदेश सं0—2575 / छब्बीस—19 / 2020—2021 दिनांकः 14 फरवरी, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट कीजिएगा, जिसके द्वारा ग्राम जयकण्ड़ी की ज0वि0र0 ख0खा0सं0—60 में दर्ज खसरा सं0—1369 रकवा 0.700है0 भूमि, मध्ये 0.090है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम अमल—दरामद किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बन्ध में राजस्व उप निरीक्षक गणेशनगर, द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि; ग्राम जयकण्ड़ी की ज0वि0र0 ख0खा0सं0—60 में दर्ज खसरा सं0—1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये, 0.090है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम अमल—दरामद किया गया है, नकल ज0वि0र0 खतौनी संलग्न है (रा0उ0नि गणेशनगर की आख्या मूल में संलग्न है)।

अतः आख्या उपरोक्तानुसार सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

Signed by
Diwan Singh
Date: 11-04-2023 18:15:08
तहसीलदार,
ऊखीमठ।

Generated from eOffice by Satish Prasad, RK-SP-UKHI, RAGISTRAR KANOONGO, DEPT-TEHSIL-UKHIMATH on 19/04/2023 12:29 PM

d with OKEN Scanner

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील – ऊखीमठ

महोदय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक सं० 25 75 स्थावीस 19/2022-21 दिनांक रुद्रप्रयाग फरवरी 14 2023 के आदेशानुपालन एवम तहसीलदार महोदय के पृष्ठांकित आदेशानुपालन ग्राम जयकण्डी की हाल खतौनी खाता सं० 60 के खसरा नं० 1364 रकबा 0.700 हे० मध्ये अवशेष 0.288 हे० भूमि में से 0.090 हे० भूमि चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित आलदरामद दर्ज किया गया है रिपोर्ट के आख्या पर जि० वि० र० खतौनी नकल संलग्न है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित

ह० अपठनीय
रा० नि० / गणेशनगर

नकल ज०वि०ख०खतौनी

ग्राम जमकण्डी — सा० उ० नि० गणेशनगर — तहसील करसीमह

2	3	4	5	6	7
६०	बंजर		१०	३२॥	
			२९८	१२५	
			६५६	१६।।।	
			१३६६	३५	
			१५२७	३।।=	
			१५९९	२३	
			१६१२	६।।।=	
			३१	८६।।।=	

कालम 8 से कालम 12 तक

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं० 1085/ इक्तीस-1/2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग जून 05 2021 तथा शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2021-18(12)/2010 राजस्व अनुभाग 2 दिनांक 17 दिसम्बर 2010 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार उपजिलाधिकारी करसीमह द्वारा राजस्व उ० नि० गणेशनगर के अन्तर्गत ग्राम जमकण्डी की ज० वि० ख० खतौनी खाता सं० 60 के खसरा नं० 278 रकबा [illegible] 500 है० तथा खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 मध्ये 0.412 है० कुल 2.912 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन उप संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम आमलदरामद किया गया है।

ह०
अस्पष्ट

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक सं० 2575/ इक्तीस-17-2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग फरवरी 2023 के आदेशानुपालन में ग्राम जमकण्डी की ज० वि० ख० खतौनी खाता सं० 60 के खसरा 278 रकबा 2.500 है० एवम खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 है० मध्ये 0.412 है० कुल 2.912 है० भूमि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण होने पर आमलदरामद किया गया है तथा 0.090 है० भूमि जमकण्डी के खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 मध्ये अवशेष 0.288 है० भूमि में से 0.090 है० भूमि चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित आमलदरामद स्वीकृत प्रदान की जाती है।

ह० अस्पष्ट
नोट – नकल ज० वि० ख० खतौनी असल से तैयार की गयी है।

ह० अस्पष्ट
गणेशनगर
करसीमह

Scanned with OKEN Scanner

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग पर निर्माण हेतु 1.501 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि ग्राम जयकण्डी सिविल है0 3.002 हे0 क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन आदेश तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है–

म्यूटेशन ओदश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल रकवा	अर्जित रकवा
2575/छब्बीस–19 /2020–21 / दिनांक 14–02–2023	9–3(ड) बंजर	60	278	2.500 हे0	2.500 हे0
	9–3(ड) बंजर	60	1369	0.700 हे0	0.502 हे0
योग					3.002 हे0

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई रूद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार आर0सी0सी0 पिल्लरों से सीमाकंन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्र. (है0)	पिल्लर संख्या	पिल्लर का साईज (L.W.H)	अक्षांश	देशान्तर
जयकण्डी	3.002	01	60x60x75	30°25'30.39''N	79°06'09.69''E
		02	60x60x75	30°25'35.35''N	79°06'14.17''E
		03	60x60x75	30°25'36.35''N	79°06'11.09''E
		04	60x60x75	30°25'36.82''N	79°06'09.28''E
		05	60x60x75	30°25'35.97''N	79°06'05.03''E
		06	60x60x75	30°25'31.80''N	79°06'04.36''E
		07	60x60x75	30°25'32.16''N	79°06'05.93''E
		08	60x60x75	30°25'32.28''N	79°06'08.37''E

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग
मुहर सहित

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 खं0
रूद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग
मुहर सहित

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर
वन विभाग
मुहर सहित

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि
15-05-2025

जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला मोटर मार्ग) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.002 है0 भूमि

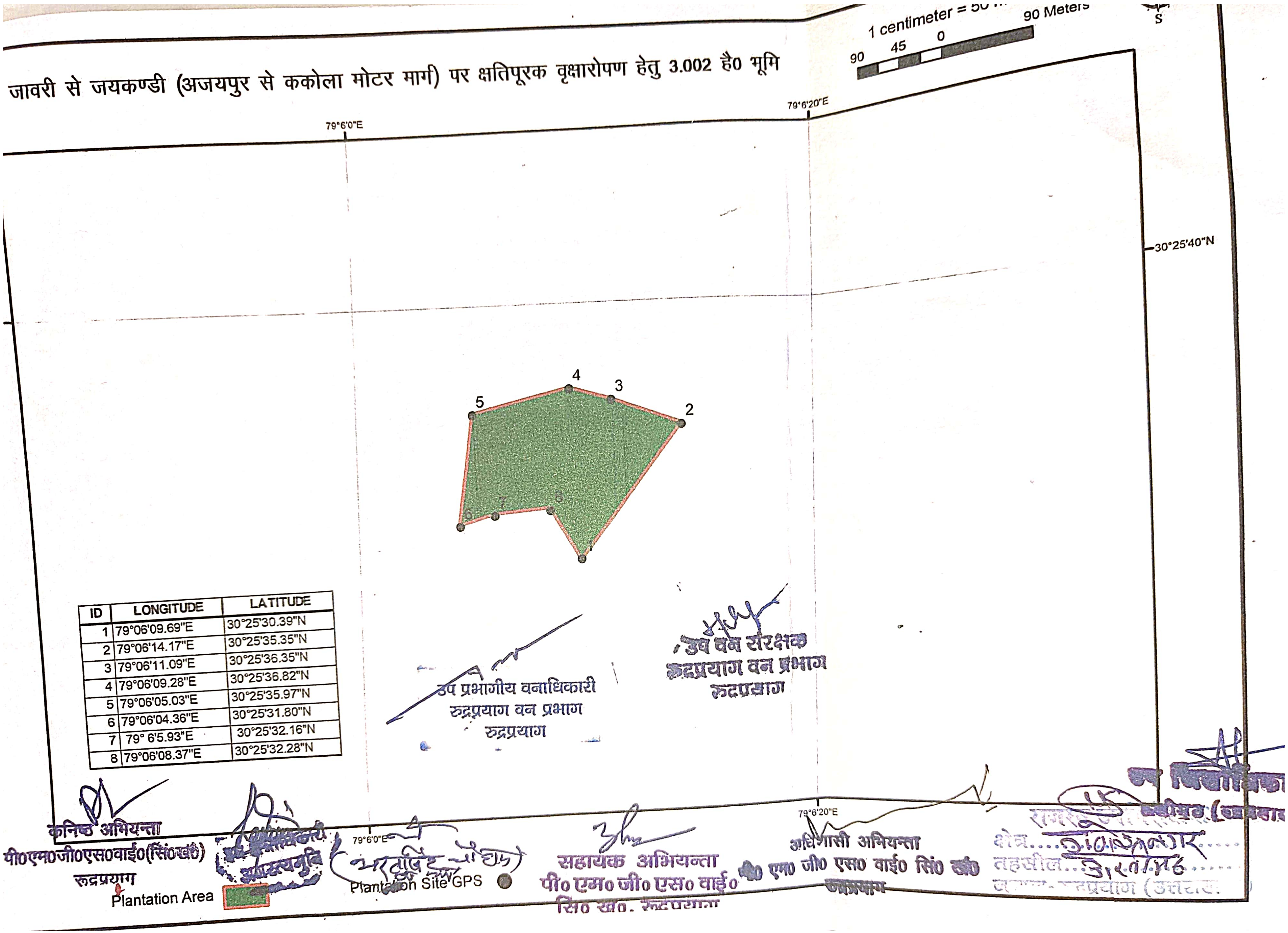

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°06'09.69"E	30°25'30.39"N
2	79°06'14.17"E	30°25'35.35"N
3	79°06'11.09"E	30°25'36.35"N
4	79°06'09.28"E	30°25'36.82"N
5	79°06'05.03"E	30°25'35.97"N
6	79°06'04.36"E	30°25'31.80"N
7	79° 6'5.93"E	30°25'32.16"N
8	79°06'08.37"E	30°25'32.28"N

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0)
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सि0 खं0. रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 खं0
रुद्रप्रयाग

क्षेत्र....
तहसील....
जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

...से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला मोटर मार्ग) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.002 है0 भूमि

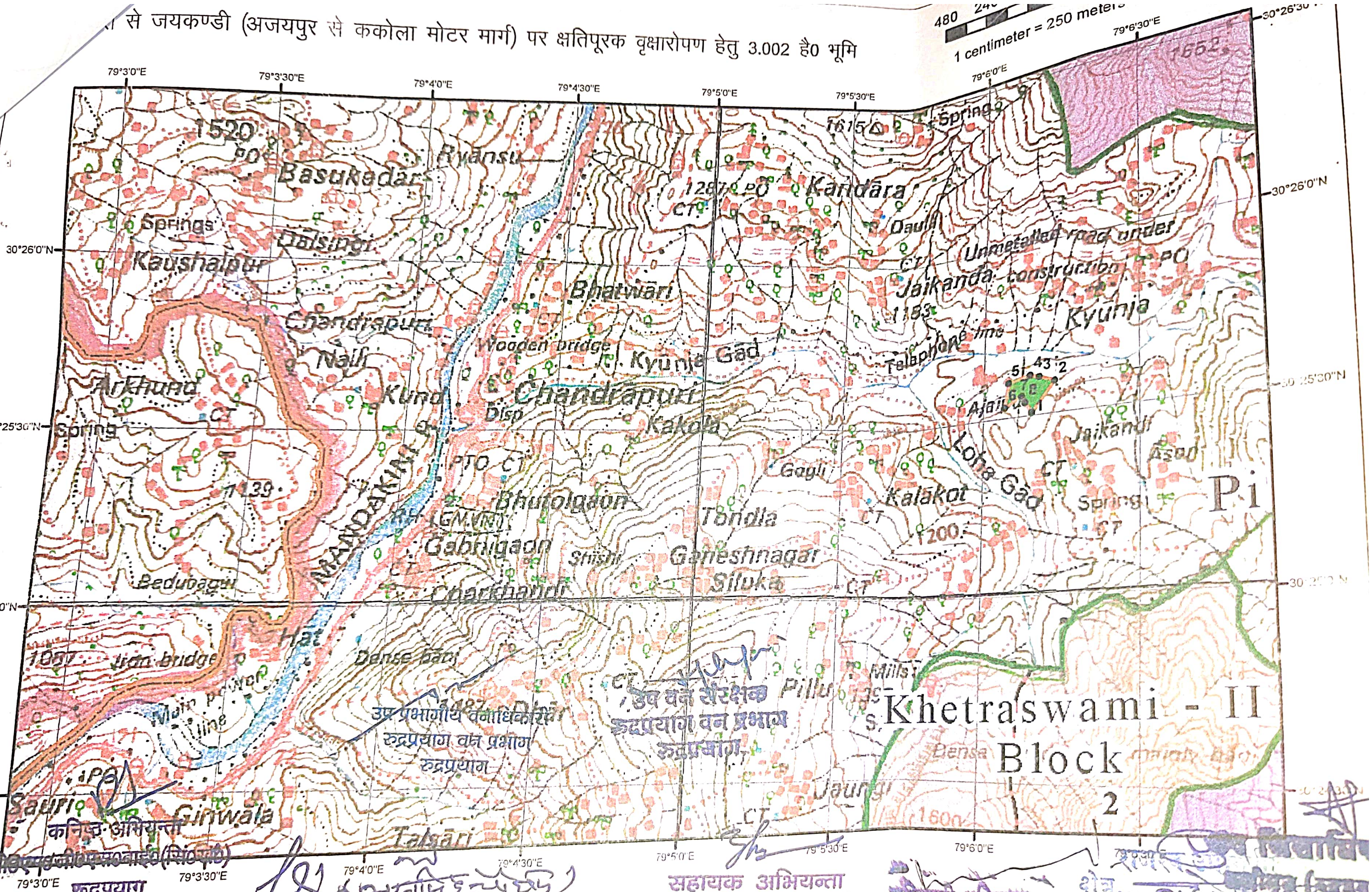

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0)
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सि0 ख0, रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सि0 ख0

क्षेत्र.......
तहसील.......

Plantation Area

Plantation Site GPS

(4)

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–2

संख्या– /......................देहरादून : दिनांक :– , 2025

ड्राफ्ट अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड, जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित 1.501 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.501 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग को ग्राम–जयकण्डी सिविल भूमि उपलब्ध कराई गई, जो उ0ख0 सरकार श्रेणी 9(3)ङ) बंजर की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–60 के खसरा संख्या–278, रकवा–2.50 है0 तथा खसरा संख्या–1369, रकवा–0.700 है0 मध्ये–0.502 है कुल 3.002 है0 भूमि जिसका विवरण नीचे की सारणी में अंकित है, को भारतीय वन अधिनियम–1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं।

भाग–1 क्षेत्रफल विवरण (Area Statement)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)	चयनित क्षेत्रफल (है0)
1	रुद्रप्रयाग	जयकण्डी	60	278	2.500	2.500
			60	1369	0.700	0.502
कुल योग					**3.200**	**3.002**

भाग–2 सीमा विवरण (Boundary Description)

खसरा संख्या–278 व 1369 सीमा स्तम्भों की कुल संख्या–1 से 8 निम्नांकित जी0पी0एस0 के अनुसार।

क्र.सं	अक्षांश	देशान्तर
1	30°25'30.39"N	79° 06'09.69"E
2	30°25'35.35"N	79° 06'14.17"E
3	30°25'36.35"N	79° 06'11.09"E
4	30°25'36.82"N	79° 06'09.28"E
5	30°25'35.97"N	79° 06'05.03"E
6	30°25'31.80"N	79° 06'04.36"E
7	30°25'32.16"N	79° 06'05.93"E
8	30°25'32.28"N	79° 06'08.37"E

भाग–3 अधिकार एवं रियायतें (Rights and Concession)

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या :– /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
7. उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण राजपत्र के विधाई परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।